



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला में कार्यरत प्रधानाचार्य वर्ग 'क' व 'ख' को उनके नामों के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व आदान-प्रदान शक्तियां तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिन संस्थानों की आदान प्रदान शक्तियां दी जानी है।	जिन संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान प्रदान शक्तियां दी जानी है।	रिर्माकश
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) सोनीपत	श्री विक्रम सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोनीपत।	श्रीमती मधुबाला प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' दिनांक 30.4.2016 को सेवानिवृत्त होने के कारण।
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुशक	श्री विनोद कुमार प्रधानाचार्य, वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पलवल।	श्री सुरेश कुमार ग्रोवर, प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' दिनांक 30.4.2016 को सेवानिवृत्त होने के कारण।
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहारनवास	श्री सुरेन्द्र कुमार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुण्ड मनेठी	नई बार्टे अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहारनवास पर प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' का पद स्वीकृत होने के कारण श्री सुरेन्द्र कुमार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुण्ड मनेठी को सहारनवास का अतिरिक्त चार्ज व डी०डी०ओ० दी जाती है।
4.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मौजाबाद	श्री रविन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांव में कार्यरत है।	श्री सुरेश कुमार कौशिक, उप- प्रधानाचार्य से आई०टी०आई०, मौजाबाद का अतिरिक्त चार्ज व डी०डी०ओ० वापिस लेते हुए, श्री रविन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांव को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मौजाबाद का अतिरिक्त चार्ज व डी०डी०ओ० दी जाती है।
5	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगीना, पुहाना व पिं गवाना	श्री पूर्ण चन्द गांधी उप प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगीना।	श्री गजेन्द्र कुमार प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगीना के निलम्बित होने के कारण।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 पर दिये गये अतिरिक्त चार्ज व आदान-प्रदान शक्तियों के लिए कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।

दिनांक 09.06.2016

अंशज सिंह

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क० केसी/टीई/99/158/डीडीओ/1373

दिनांक:14/6/2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।
- 2 सहायक निदेशक प्रशिक्षण।
- 3 नोडल अधिकारी विभागीय बैवसाईट।
- 4 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोनीपत, कुशक, पलवल, सहारनवास, कुण्ड मनेठी, मौजाबाद, गुडगांव, नगीना।
- 5 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), सोनीपत।
- 6 खजाना अधिकारी, सोनीपत, पलवल, रिवाडी व गुडगांव, मेवात
- 7 सम्बन्धित अधिकारी।

अधीक्षक (एफ.इ.जी-1)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।